

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों की सूचनाए निम्नवत है:-

| क्रमांक सं० | संगठन स्तर से सम्बन्धित उत्तर |
|----------------|--|
| 1 | <p>सूक्ष्माधिकारी की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों की सूचना</p> <p>आपने संगठन की विशेषियाँ, कृत्य और कर्तव्य:</p> <p>इ०ओ०डब्ल० हारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, परिषदों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में किये गये आर्थिक अपराधों तथा विभिन्न योजनाओं में आर्थिक अनियमितताओं एवं दुर्विधायिक से सम्बन्धित प्रकरणों, गैर बैंकिंग वित्तीय क्रमनियों/प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अपराधों, जिनमें राजस्व क्षति निहित हो तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित मामलों में की गई धोखाधड़ी की जाँच/विवेचना की जाती है।</p> <p>इसके अतिरिक्त इस संगठन द्वारा आर्थिक अपराध से सम्बन्धित अभिसूचना संकलन का कार्य भी शासनादेश सं०४८२ / २५-८-२०१५-३९(११) / ७०, दिनांक: २३.०६.२०१५ एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन व पुलिस अधिनियम १८६१ के अनुसार प्रदत्त कर्तव्य/शक्तियों।</p> |
| 2 | <p>आपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य;</p> <p>शासनादेश सं०४८२ / २५-८-२०१५-३९(११) / ७०, दिनांक: २३.०६.२०१५ एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन व पुलिस अधिनियम १८६१ के अनुसार प्रदत्त कर्तव्य/शक्तियों।</p> |
| 3 | <p>विनियोग करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं:</p> <p>इस संगठन द्वारा शासन के गृह विभाग द्वारा सदर्भीत जाँच/विवेचना का कार्य किया जाता है। संगठन द्वारा कोई जाँच/विवेचना स्वतः करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। शासन से प्राप्त प्रकरणों की जाँच/विवेचना इस संगठन के अन्तर्गत कार्यस्त ०६ सेक्टरों द्वारा की जाती है। निरीक्षक/विवेचक का पर्यवेक्षण सेक्टर स्तर पर नियुक्त सेक्टर प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया जाता है। जाँच विवेचना पूर्ण होने पर आख्या संगठन के मुख्यालय पर प्रेषित की जाती है, इन आख्याओं का मूल्यांकन मुख्यालय में नियुक्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एवं संगठन में नियुक्त जेडी०/एस०पी०ओ० द्वारा किया जाता है तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक, इ०ओ०डब्ल० हारा जाँच/विवेचना आख्या अनुमोदित की जाती है। पुलिस महानिरीक्षक, इ०ओ०डब्ल० हारा के उपरान्त आख्या शासन के गृह विभाग को स्वीकृत हुते प्रेषित की जाती है। शासन से आख्या स्वीकृत होने के उपरान्त तदनुसार अधिसंचयन कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान; | इस संगठन द्वारा जॉच/विवेचना पूर्ण पारदर्शित: बरतते हुए की जाती है, प्रत्येक स्तर पे संगठन में नियुक्त विधिक अभियोजन औरधिकारियों द्वारा विवेचक के उपलब्ध करायें गये साक्ष्यों की समीक्षा की जाती है। स्पष्ट एवं प्रर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। |
| 5 | अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख; | शासनादेश सं0482/25-8-2015-39(11)/70, दिनांक:23.06.2015 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन व पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार प्रदत्त कर्तव्य/ शक्तियों। |
| 6 | ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण; | इस संगठन द्वारा मुख्य रूप से जॉच/विवेचना के मध्य संकलित किये गये अभिलेखीय साक्ष्य आरोपियों एवं सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जाता है। इन अभिलेखों में जॉच किये जा रहे विभागों के अन्तरिक किया-कलापों का विवरण रहता है, जिसका सीधा सम्बन्ध विवेचना से होता है तथा एकत्र किये गये अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में मा० न्यायालय में प्रस्तुत करना होता अतः उनका सार्वजनिक किया जाना समीचीन नहीं है। |
| 7 | किसी व्यवस्था की विशिष्टियों, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विवेचना की जाती है; | इस संगठन स्तर पर नीति की संरचना या कार्यान्वयन हेतु जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए अथवा अभ्यावेदन के लिए कोई व्यवस्था विवेचन नहीं है। शासन के गृह विभाग द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही इस संगठन द्वारा की जाती है। |
| 8 | ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागीरुप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहच होगी, विवरण; | उपरोक्त प्रकरण में बिन्दु संख्या 07 में स्पष्ट किया गया है। |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|---|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| <p>9 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;</p> | <p>आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में नियुक्त अधिकारी गण के पदनाम व मोबाइल नम्बर</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>पुलिस महानिदेशक,</td><td>9454400107</td></tr> <tr> <td>अपर पुलिस महानिदेशक</td><td>9454400128</td></tr> <tr> <td>पुलिस उपमहानिरीक्षक</td><td>9454400323</td></tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान)</td><td>9454401151</td></tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (लखनऊ सेक्टर)</td><td>9454401676</td></tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर)</td><td>9454401150</td></tr> <tr> <td>अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध / जनसूचना अधिकारी)</td><td>9454402518</td></tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)</td><td>9454402515</td></tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)</td><td>9454405228</td></tr> <tr> <td>अपर पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर)</td><td>9454401677</td></tr> </tbody> </table> | पुलिस महानिदेशक, | 9454400107 | अपर पुलिस महानिदेशक | 9454400128 | पुलिस उपमहानिरीक्षक | 9454400323 | पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान) | 9454401151 | पुलिस अधीक्षक (लखनऊ सेक्टर) | 9454401676 | पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर) | 9454401150 | अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध / जनसूचना अधिकारी) | 9454402518 | पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर) | 9454402515 | पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर) | 9454405228 | अपर पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर) | 9454401677 |
| पुलिस महानिदेशक, | 9454400107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अपर पुलिस महानिदेशक | 9454400128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक | 9454400323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान) | 9454401151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुलिस अधीक्षक (लखनऊ सेक्टर) | 9454401676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर) | 9454401150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध / जनसूचना अधिकारी) | 9454402518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर) | 9454402515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर) | 9454405228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अपर पुलिस अधीक्षक (मेरठ सेक्टर) | 9454401677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>10 अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो इसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;</p> | <p>आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र० लखनऊ के अधिकारियों/ कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक शासन द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में पद / सेवा के अनुसार प्रदान किया जाता है।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टिंया, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;</p> | <p>इस संगठन को बजट पुलिस मुख्यालय के माध्यम से निम्नलिखित शिर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होता है, उनके उपभोग एवं व्यय की समीक्षा पुलिस मुख्यालय और महालेखाकार कार्यालय की दीम द्वारा की जाती है।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>12 सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की शैति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदागाहियों के बारे सम्मिलित है;</p> | <p>“2055–पुलिस आयोजनेतर–101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 04 अनुसंधान अनुभाग–0402 अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान”</p> <p style="text-align: center;">शून्य</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | शून्य |
| 13 | अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशेषण्यों; | |
| 14 | किसी इलेक्ट्रनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में छोरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा घारित हो; | शून्य |
| 15 | सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशेषित्या, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वर्चन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हो तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है ; | शून्य |
| 16 | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशेषित्यां | <p>पुलिस अधीक्षक/अपीलीय अधिकारी (जनसूचना), आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र०, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002।</p> |
| मुख्यालय लखनऊ | | |
| <p>श्री हंबीबुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक(अप०) / जन० अधिर०, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र०, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, तृतीय टावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002।</p> | | |
| सेक्टर कानपुर | | |
| <p>श्री बबू राम, पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र०, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर।</p> | | |
| सेक्टर वाराणसी | | |
| <p>श्री सत्येन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र०, 107 सिद्धगिरि बाग, जिला-वाराणसी 221010।</p> | | |
| सेक्टर मेरठ | | |
| <p>श्री राम सुरेश यादव अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र०, 44वीं वाहिनी गोपी परिसर, हापुड रोड, जिला-मेरठ।</p> | | |